कार्यालय अधिशासीअभियन्ता
नलकूप खण्ड (पश्चिम) बागपत

पत्रांक– सी0–243/नखपबा/प्रारूपकार/नीलामी/निश्प्रयोज्य   दिनॉक–26.08.2017

<u>नीलामीविज्ञप्ति सं0–04/2017–18</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड (पश्चिम) बागपत के नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित निश्प्रयोज्य सामग्री, जहां है जैसी स्थिति में है, की नीलामी दिनॉक 14.09.2017 को इस खण्ड के चतुर्थ उपखण्ड–मेरठ के भण्डार परिसर में अपरान्ह 3.00 बजे की जायेगी। धरोहर राशि दिनॉक 13.09.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक खण्डीय कार्यालय बागपत में अथवा 14.09.2017 को पूर्वान्ह 11.00 तक चतुर्थ उपखण्ड, मेरठ में नीलामी स्थल पर जमा की जा सकेगी। नीलामी की धरोहर राशि बैंक डॉफ्ट के रूप में, जो अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड (पश्चिम) बागपत के नाम पर बन्धक होना चाहिए, ही स्वीकार्य होगी। नीलामी में कम दर प्राप्त होने पर बोलीदाताओं की जमा धरोहर धनराशि नीलामी की तिथि से अगले दिन ही वापिस की जायेगी।

लॉट संख्या	आइटम/सामग्री का नाम	आइटम/सामग्री की अनुमानित मात्रा	धरोहर धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
लॉट संख्या–01	कास्ट आयरन स्क्रैप।	2 मी0 टन	750.00	धरोहर रा ा अलग अलग बैंक डॉफ्ट के रूप में लॉटवार खण्डीय कै ायर के पास जमा करनी होगी।
लॉट संख्या–02	स्टील स्क्रैप।	5 मी0 टन	1900.00	
लॉट संख्या–03	गन मैटल स्क्रैप।	1000 कि0ग्रा0	5200.00	

<u>शर्ते निम्न प्रकार होगी–</u>

1. उपरोक्त सामान की नीलामी लॉटवार की जायेगी तथा नीलामी से पूर्व लॉट की बोली हेतु धरोहर रा ा बैंक डॉफ्ट के रूप में लॉटवार खण्डीय कै ायर के पास जमा करनी होगी, जो कि अधि ासी अभियन्ता नलकूप खण्ड (पि चम) बागपत के नाम बंधक होनी चाहिए।
2. उपरोक्त सामान की नीलामी जैसी है, जहां है, के आधार पर की जायेगी।
3. उपरोक्त सामान को किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने के बाद इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–चतुर्थ की लिखित अनुमति लेकर सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर स्टोर पर देखा जा सकता है।
4. नीलामी हेतु समस्त निर्णय का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी बोली का 25 प्रति ात धनरा ा के रूप में (धरोहर रा ा को सम्मिलित करते हुए) तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पूर्व जमा कराई अग्रिम प्रतिभूति की धनरा ा विभागीय हित में जमा कर ली जायेगी।

5. बोली की धनराि ा पर नियमानुसार वाणिज्य कर/ब्रिकी कर/जी0एस0टी0 तथा अन्य कर, जो भी नियमानुसार देय हो वह उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को देना होगा। नीलामी किये जाने वाली सामग्री की पूर्ण लॉट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में नीलाम किया जायेगा।
6. नीलामी किये गये सामान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा सूचना देने के 15 दिन के अन्दर नीलामी की अव ोश 75 प्रति ात धनराि ा सभी करों सहित जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई 25 प्रति ात धनराि ा विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा सामान दूसरे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म के पक्ष में सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर नियमानुसार दिया जा सकता है।
7. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि कोई भी सामान विज्ञप्ति में सूचित सामान में से कम अथवा अधिक किया जा सकता है।
8. नीलामी के प चात यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है तो बोलीकर्ता के द्वारा जमा की गई धनराि ा वापिस कर दी जायेगी और उस स्थिति में बोलीकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति ब्याज इत्यादि का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
9. नीलामी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अर्बीटे ान अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, मेरठ के द्वारा किया जायेगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।
10. नीलामी बोलने से पूर्व बोलीदाता को अपना फोटो परिचय पत्र/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए अपना नाम/हस्ताक्षर समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्ट्रर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी बोली अभिलिखित नहीं की जायेगी।
11. अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा अन्य किसी विपरीत परिस्थिति में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी जिसके लिए किसी भी बोलीदाता को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
12. समिति को नीलामी बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधिशासीअभियन्ता
नलकूप खण्ड (पश्चिम) बागपत